न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 777–दो/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 60/निगरानी/1998–99.

—

कुन्दनलाल पुत्र गोविन्दीलाल
निवासी बेगम खुर्द तहसील सिलवानी
जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–प्रवीण कुमार पुत्र राजकुमार जैन
2–संजय कुमार पुत्र प्रेमचन्द
3–आनंद कुमार पुत्र ज्ञानचंद
समस्त निवासी सिलवानी तहसील सिलवानी
जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 30–03–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील सिलवानी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बेगम खुर्द तहसीलदार सिलवानी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 29/1 रकबा 0.53 डिसमिल जो राजस्व अभिलेख में अनावेदकगण के नाम दर्ज है, पर आवेदक 15–16 वर्षो से निरन्तर काबिज होकर कृषि

कार्य कर रहा है, अतः उक्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–46/196–97 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वे प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी है और उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित हो चुकी है, इसलिये संहिता की धारा 190 लागू नहीं होती है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–9–1997 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–03–1999 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–03–2000 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त किये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि खसरों में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा होने संबंधी पुष्टि खसरा पंचशाला से की गई है, ऐसी स्थिति में लगान अथवा रसीद प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार अर्जित हो गये हैं इसीलिये तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण किये जाने के उद्देश्य से तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रचलित रखी गई थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने से तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त हो जावेगी, जिस कारण आवेदक के विरूद्ध अन्याय होगा। उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को गुण दोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने का निवेदन किया गया ।

तर्क के समर्थन में 1970 आरएन 426 एवं 1987 आरएन 156 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रकरण में अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमिया का व्यपवर्तन होकर गैर कृषि उपयोग की भूमियॉ हो गयी है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमियों पर संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत मौरूषी कृषक के अधिकार देने की शक्तियॉ नहीं रह गई है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण द्वारा उसे कृषि करने हेतु दी गई थी और न ही प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नाधीन भूमिया आवेदक को अनावेदकगण द्वारा कृषि कार्य हेतु दी गई है और कब्जा वापिस नहीं लिया गया है, अतः इस कारण भी तहसीलदार को संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत मौरूषी कृषक के अधिकार प्रदान कर भूमिस्वामी घोषित करने की अधिकारिता नहीं है, इसलिये इसी निष्कर्ष के साथ अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि चूँकि आवेदक को संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमिस्वामी के अधिकार अर्जित हो गये हैं इसलिये तहसीलदार द्वारा उसके पक्ष में नामान्तरण किया जाना चाहिये, क्योंकि जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि प्रकरण की स्थिति को देखते हुये संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत तहसीलदार को मौरूषी कृषक एवं भूमिस्वामी घोषित करने के अधिकार नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 30–03–2000 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर